संख्या-57/2026/I/1285497/2026 /002-71-2099-1226-2020

प्रेषक,

ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक-31-03-2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में वृहद निर्माण कार्य में हो रही बचत रू0 875.00 लाख के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से संस्थान में सृजित नये विभागों के लिये उपकरणों के क्रय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त किये जाने तथा सूची अनुमोदित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/एम0एम0/बजट/2024-25/503, दिनांक 02.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 24-वृहद निर्माण कार्य में हो रही बचत के सापेक्ष धनराशि रू0 875.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से संस्थान में सृजित नये विभागों के रूप में हेड नेक सर्जरी एवं सीवीटीएस के अन्तर्गत सलोनी हार्ट सेन्टर को पूर्ण रूपेण क्रियाशील किये जाने हेतु उपकरणों के क्रय एवं सूची पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत संस्थान के 24-वृहद निर्माण मद में हो रही बचतों के सापेक्ष संस्थान के 26-मशीनें एवं सज्जा/उपकरण एवं संयन्त्र में अतिआवश्यक उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-61-71-2-2026/A071-20252026-71-2099-1226-2020, दिनांक 29 मार्च, 2026 बी0एम0-9 प्रपत्र संलग्न) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 875.00 लाख (रुपये आठ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति तथा निम्नलिखित विवरण के अनुसार उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

Name of Deprartmen	S.No	Name of Equipment	Qty	Unit Cost (Rs. in lakh)	Total cost (Rs. in lakh)
Head and Neck Surgery	**1**	Sugical Insturment set Otoplasty set, Rhinoplasty set, Salivary Calculus Removal Set. Frontial Sinus set	01 set	45.00	45.00
	2	Robotic Digital Surgical Microscope	01 set	750.00	750.00
	3	Nerve Monitoring System	01 set	30.00	30.00
CVTS (Saloni Heart Centre)	**4**	Portable USG-ECHO MACHINE	01 set	50.00	50.00
				Total Cost (Rs. in lakh)-	**875.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. सुसंगत वित्तीय नियमों व क्रय नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायेंगे। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ संबंधित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान की होगी।
2. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, संस्थान को होगा।
3. उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
6. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-35/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।
7. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना हेतु भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
8. उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में इंगित/अनुमोनित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
9. उपकरण के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
10. उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।
11. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
12. क्रय एवं वित्त के नियमों, शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन ही प्रश्नगत राशि का व्यय किया जाये। क्रय प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। किसी भी अनियमितता की स्थिति में क्रय प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।
13. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,75,00,000 (रुपये आठ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

संख्या-57/2026/1/1285497/2026/002-71-2099-1226-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।